

4/5/2024

पत्रावली पेज दुई/ लु. उप- प्रार्थनाओं की ओर
से प्रार्थना-पत्र पेज कर निवेदन किया है कि
प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गि धारा 251A
के तहत विचारधीन है। उक्त पत्रावली का प्रकरण
काफी पुराना एवं लेखिकुल कमियों के कारण
पेचीदा हो गया है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना-पत्र
251A को द्वारा प्रस्तुत करना चाहता है।
प्रार्थी वकील को चुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना-
पत्र स्वीकार किया प्रार्थना-पत्र 251A के अधी
न पर खारिज किया जाता है। तथा प्रार्थना-
पत्र 251A के प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती
है।
पत्रावली पुनल हुकुर होकर दाखिल वफ्त
है